

न्यायालय अनुमंडल दंडाधिकारी, बसिया

धारा 107 दं०प्र०सं०

वाद सं० 17/2017

प्रथम पक्ष — बिरसा सिंह उम्र 50 वर्ष पिता गणेश सिंह।

बनाम

द्वितीय पक्ष — (1) लुलेन्दर सिंह उम्र 30 वर्ष पिता सोमा सिंह।

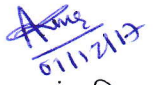
आदेश

इस वाद की कार्रवाई कामडारा थाना के आप्राथमिकी सं० 3/2017 दिनांक 22.05.2017 के प्रतिवेदन के आधार पर दं० प्र० सं० की धारा 107 के तहत कार्यवाही आरंभ की गई। उभय पक्षों द्वारा लिखित जबाब एवं स्वतंत्र गवाह भी उपस्थापित किए गए एवं इनका परीक्षण एवं प्रति परीक्षण भी किया गया।

प्रथम पक्ष बिरसा सिंह के अनुसार प्रथम पक्ष बिरसा सिंह द्वारा बैर पेड़ खाता सं० 20 प्लॉट सं० 616,617 पर था। उक्त प्लॉट की जमीन प्रथम पक्ष के बिरसा सिंह द्वारा रजिस्ट्री पट्टा केवाला 2212/92 दिनांक 08.12.1992 द्वारा क्रय कर दाखिल खारिज कराकर दा० खा० वाद सं० 19R27/93-94 द्वारा जमीन पर दखलकार है। इस संबंध में केवाला की छायाप्रति प्रस्तुत की है।

द्वितीय पक्ष के द्वारा स्वयं अथवा इनके अधिवक्ता के माध्यम से कोई जबाब नहीं दिया गया। द्वितीय पक्ष की ओर से उपस्थित स्वतंत्र गवाह बतलाते हैं कि लुलेन्दर सिंह के माता-पिता की मृत्यु इनके नबालिग काल में ही हुई। यह इनकी खतियानी जमीन है और बैर पेड़ भी इसी जमीन पर है जिसे द्वितीय पक्षकार ने काट डाला।

प्रथम पक्ष भी अपनी ओर से दो स्वतंत्र गवाह उपस्थित करते हैं जिनके अनुसार बैर का पेड़ इनके भूमि पर है परंतु लुलेन्दर सिंह ने काटा है यद्यपि सभी गवाह मापी की बात स्वीकारते हैं परंतु किसी भूमि पर मापी के उपरांत पेड़ पाया गया। यह नहीं बतला पाते हैं। इस संबंध में अंचल कार्यालय से मापी संबंधी किसी भी प्रकार का प्रतिवेदन उभय पक्ष संलग्न नहीं करते हैं परंतु विवाद का मूल जड़ द्वितीय पक्ष द्वारा बैर के पेड़ का काटा जाना है। अतः लिखित बयान एवं गवाहों के दर्ज बयान के आधार पर द्वितीय पक्ष श्री लुलेन्दर सिंह को 5000.00/- (पांच हजार रु०) की प्रतिभूति के साथ एक साल तक शांति कायम हेतु बंध पत्र प्रस्तुत करने का आदेश दिया जाता है।


अनुमंडल दंडाधिकारी
बसिया।
 11/2/17